



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

क्रमांक : एफ 4( ) /SBMG/लेखा/सीए-ऑडिट/2019-20/ 331-35 जयपुर दिनांक : 17-9-19

कोटेशनों के लिए अनुरोध

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामिण) अन्तर्गत एसबीएमजी, ईबीआर एवं पीआईजी फण्ड की राज्य मुख्यालय की वर्ष 2018-19 की सीए ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करवाकर एवं जिलों से प्राप्त वर्ष 2018-19 की सीए ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की जांच एवं यदि कोई अन्तर हो तो उसको सही करवाकर राज्य की समेकित सीए.ऑडिट रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वर्ष 2018-19 की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूपों में तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु सी.ए.जी एमपैनलड वर्ष 2019-20 हेतु स्वीकृत चार्टर्ड अकाउटेंट फर्म अपनी कोटेशन बिना शर्त बन्द लिफाफे में दिनांक 26.09.2019 को दोपहर 2.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। उक्त कोटेशनों को दिनांक 26.09.2019 को दोपहर 3.00 बजे खोला जायेगा। कार्य की अनुमानित लागत रुपये 50000/- एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि 10 दिवस है अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।

निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)

प्रतिलिपि :-

1. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग।
2. वित्तीय सलाहकार पंचायतीराज विभाग।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/स्टोर प्रभारी पंचायतीराज विभाग जयपुर को विभागीय/एस. पी.पी.पोर्टल पर उक्त दर्शित करवाने हेतु सॉफ्ट कॉपी प्रेषित है।
4. मैसर्स मास एण्ड कम्पनी/सीमा एस अग्रवाल एण्ड एसोसिएट/एमसीएस एण्ड कम्पनी/सचिन जैन एण्ड कम्पनी चार्टर्ड अकाउटेंट जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड।

निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)